न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 — 780/2015/प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 11.09.2015	तारीख फैसला 14.06.2017

उनवान

माधू उर्फ महादेव पिता छीतर जाट निवासी खामोर तहसील शाहपुरा — प्रार्थी

बनाम

मु0 कैलाश कंवर पति देवराजसिंह राजपूत निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 251 (ए) आर0टी0ए0

उपस्थित :— 1. श्री त्रिलोक चन्द नोलखा — अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेश वर्मा — अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा0टी0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम खामोर जमाबन्दी संवत 2068 से 71 खाता संख्या 697 मे प्रार्थी का 5/8 हिस्सा व रूकमा उर्फ लाड़ पुत्री छीतर जाट का 3/8 हिस्से मे कुल किता 7 रकबा 6.77 है0 स्थित है। रूकमा उर्फ लाड़ ने अपने हक का त्याग प्रार्थी के पक्ष मे करते हुए पंजीयन करवा दिया। नामान्तरकरण नही खुला है। इस कारण रूकमा को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आ0न0 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751 कुल किता 6 रकबा 6.19 है0 स्थित होकर प्रार्थी के कब्जे व काश्त मे चली आ रही है। प्रार्थी अपनी आराजीयात को काश्त करने हेतु विपक्षी की आराजीयात मे से होकर अपनी बैलगाड़ी व ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहे है। प्रार्थी अपनी आराजीयात मे काश्त हेतु साधन खामोर से बिलिया जाने वाली सडक से होकर विपक्षी की आ0न0 3724 की उत्तरी सीमा से होकर पश्चिम से पूर्व होकर आ0न0 3724 के पूर्व मे स्थित आव के पश्चिम की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए आ0न0 3724 के दक्षिणी पूर्वी कोने से करीब 50 फीट उत्तर की ओर होते हुए प्रार्थी अपनी आराजीयात मे पिछले करीब 100 वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से ही काश्त करने हेतु साधन के आते जाते रहे है। विपक्षी ने अपनी आ0न0 3724 के उत्तर की ओर उत्तर की सीमा से करीब 25 फीट दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व एक डोल प्रार्थी के रास्ते को छोड़ते हुए लगा रखा है। दिनांक 16.05.2015 को डोल हटाते हुए रास्ता बन्द कर दिया है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता अपनी आराजीयात पर आने जाने का नही है। प्रार्थी रास्ते की भूमि की नियमानुसार राशि जमा कराने का तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए पैरा नं0 3 मे वर्णित अनुसार प्रार्थी को विपक्षी की आराजी मे से रास्ता काश्त करने हेतु साधन लाने ले जाने हेतु दिलाये जाने का आदेश बक्षावे जिसका इन्द्राज राजस्व नक्शों मे कराये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.10.2015 को विपक्षी की ओर से अभिभाषक श्री जयन्त ओझा,

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

राजेश वर्मा ने अपना अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 22.03.2016 को विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। जवाब मे बताया कि प्रार्थी मनमसकूद तरीके से बिना किसी आधार के उत्तरदाता की कृषि भूमि मे से नया रास्ता कायम कराना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार नही है। प्रार्थी के वैकल्पिक रास्ता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 975 दिनांक 18.07.2016 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे बताया कि विपक्षी की आराजी नं0 3724 रकबा 1.01 है0 मे आने जाने के अलावा प्रार्थी के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। दिनांक 23.11.2016 को अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया जिसकी नकल अभिभाषक विपक्षी को दी जाकर प्रकरण जवाब बहस के नियत किया गया। दिनांक 18.01.2017 को अभिभाषक विपक्षी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया जिसमे बताया कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस समय भी जमाबन्दी मे बैंक रहन का दाखला था उस समय ही बैंक को पक्षकार बनाना चाहिये था। इसलिए अब बैंक को पक्षकार बनाने की स्वीकृति नही दी जा सकती है। दिनांक 30.01.2017 को उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। दिनांक 13.02.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व 151 सी0पी0सी0 खारिज किया गया। प्रकरण अन्तिम बहस के नियत किया गया। प्रकरण दिनांक 14.06.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार – 2017 अटल सेवा केन्द्र खामोर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। प्रार्थी एवं विपक्षी स्वयं उपस्थित जिनकों सुना गया। विपक्षी ने बताया कि यदि प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो मेरी आराजी के एक साईड मे मेर के सहारे सहारे दिया जावे। रास्ता मेरी आराजी के बीच मे से नही दिया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम वाके ग्राम खामोर प0ह0 खामोर तहसील शाहपुरा मे स्थित प्रार्थी की आराजी नम्बर 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751 कुल किता 6 रकबा 6.19 है0 मे आने जाने हेतु विपक्षी की आ0न0 3724 की उत्तरी मेर के सहारे होकर आ0न0 3724 के उत्तरी पूर्वी कोने मे होकर 3724 की पूर्वी मेर पर दक्षिण दिशा मे होकर प्रार्थी के खसरा नम्बरान मे आने जाने हेतु 15 फीट चौड़ाई व प्रार्थी की आराजी तक लम्बाई का रास्ता जो बनता है। प्रार्थी द्वारा प्रचलित वर्तमान डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि का चैक विपक्षी खातेदार के नाम का तहसील कार्यालय मे जमा कराने व उक्त चैक का भुगतान विपक्षी को किये जाने उपरान्त राजस्व रेकार्ड मे गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिया जाता है। उक्त आराजी का नक्शे मे तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14.06.2017 को केम्प खामोर मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)